–: राजस्थान सरकारः–

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

मु0नं0–80 / 2022 (जीसीएमएस नं0 2022 / 15)

उनवान –सरकार बनाम **शिवकुमार सिंघल पुत्र श्री अशोक कुमार , उम्र 36 वर्ष जाति वैश्य , मैसर्सः– मस्सो बाबा मिष्ठान भण्डार, मैन बाजार सरानीखेडा, धौलपुर निवासी ग्राम वनिक पौढा, सरानीखेडा ,धौलपुर**

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) / 54एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय **दिनांक –25.04.2024**

उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत न्यायनिर्णयन आवेदन श्री पदम सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अभियुक्त श्री शिवकुमार सिंघल पुत्र श्री अशोक कुमार , उम्र 36 वर्ष जाति वैश्य , मैसर्सः– मस्सो बाबा मिष्ठान भण्डार, मैन बाजार सरानीखेडा, धौलपुर निवासी ग्राम वनिक पौढा, सरानीखेडा ,धौलपुर, जिला धौलपुर के विरुद्व अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा धारा 2(ii) / 54 एफ0एस0एस0एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत पेश किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 10.12.2022 को अभियुक्त / अप्रार्थी के दुकान मैसर्सः– मस्सो बाबा मिष्ठान भण्डार, मैन बाजार सरानीखेडा, धौलपुर निरीक्षण के दौरान दुकान में रखी लगभग 08 किलोग्राम रसगुल्ला (एसएमपी एवं चीनी से निर्मित) को आम जनता के विकय करने हेतु रखा था। उक्त रसगुल्ला (एसएमपी एवं चीनी से निर्मित) में मिलावट का शक होने पर उक्त रसगुल्ला (एसएमपी एवं चीनी से निर्मित) को 2 किलोग्राम रसगुल्ला (एसएमपी एवं चीनी से निर्मित) वास्ते नमूना जॉच अभियुक्त से खरीदा गया। उक्त रसगुल्ला (एसएमपी एवं चीनी से निर्मित) नमूना डी–2563 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर की जॉच रिपोर्ट एलएस / 924 / एक्ट / 2022 / 924 दिनांक 08. 09.2022 के अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विकय किया गया रसगुल्ला (एसएमपी एव चीनी से निर्मित)) बाहरी पदार्थ शामिल करना (Containing Extraneous matter) प्रकृति का होना पाया गया। न्यायनिर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त / अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी स्वंय उपस्थित हुये। अप्रार्थी स्वंय उपस्थित हुआ। अप्रार्थी को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त बाहरी पदार्थ शामिल करना (Containing Extraneous matter) रसगुल्ला (एसएमपी एवं चीनी से निर्मित))का विकय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंधन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी बाहरी पदार्थ शामिल करना (Containing Extraneous matter) बेचने का दोषी है जो धारा 54 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

Scanned with OKEN Scanner

—: राजस्थान सरकार:—

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

मु0नं0—80 / 2022 उनवानी सरकार बनाम शिवकुमार सिंघल

(2)

अतः श्री शिवकुमार सिंघल पुत्र श्री अशोक कुमार , उम्र 36 वर्ष जाति वैश्य मैसर्सः— मस्सो बाबा मिष्ठान भण्डार, मैन बाजार सरानीखेडा, धौलपुर निवासी ग्राम वनिक पौढा, सरानीखेडा ,धौलपुर, जिला धौलपुर पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य संरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 54 के तहत 50,000 / —रुपये (पच्चास हजार रूपये) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रैट, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रह्मलाल जाट)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर(राज0)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवंअतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner